परिपत्र संख्या 12/10

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवम् मुद्रांक विभाग
"कर भवन" राज. अजमेर

क्रमांक : एफ 4 (300) (8)/स्टा./ वैण्डर/ 1646 दिनांक : 23-4-2010

परिपत्र

राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 32, 33 व 34 के अन्तर्गत स्टाम्प वैण्ड़रों के द्वारा स्टाम्प विक्रय के सम्बन्ध में जो प्रावधान किया हुआ है उसकी पूर्ण पालना के क्रम में विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 4(300) (8) स्टा./वैण्ड़र/10/638 दिनांक 12.04.2010 (परिपत्र क्रमांक 9/10 दिनांक 12.04.2010) से निर्देश दिये गये है। इस परिपत्र में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1.0 विभाग की जानकारी में आया है कि स्टाम्प वैण्ड़रो द्वारा जो स्टाम्प बेचे जाते है उसके पृष्ठांकन में स्टाम्प वैण्ड़रों द्वारा अपना नाम एवं लाईसेन्स नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे है। इस कारण किसी विवाद की दशा में पुलिस, न्यायालय अथवा प्रभावित व्यक्ति को यह जानकारी करने में कठिनाई आती है कि बिक्रित स्टाम्प किस स्टाम्प वैण्ड़र द्वारा बेचा गया है। इस कारण सम्बन्धित स्टाम्प विक्रेता के विक्रय रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियों की यदि किसी अधिकारी या व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो इन रजिस्टर को खोजने में कठिनाई आती है।

अतः स्टाम्प वैण्ड़रों को यह पाबन्द किया जाता है कि वो बेचे गये स्टाम्पस् के पीछे निम्नानुसार सील लगाई जाकर उसमे आवश्यक पृष्ठांकन/प्रविष्टियां करें।

नाम मुद्रांक विक्रेता .... अनुज्ञा पत्र संख्या..............................
रजिस्टर क्रम संख्या............... दिनांक..................... मुद्रांक वेल्यू व क्रम संख्या....................
मुद्रांक क्रेता का नाम.. पिता /पति का नाम............................
पता..
प्रयोजन......................................
(हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता ....
क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर......................... मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर..............................

सभी स्टाम्प वैण्ड़र उक्त सील के अनुसार पृष्ठांकन की कार्यवाही करेगे। अगर निरीक्षण के समय स्टाम्प वैण्ड़रों द्वारा यह कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया तो उनके अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जा सकते है।

सभी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) व उप पंजीयक इस आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें। नये व नवीनीकरण किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों के मामलें में इस परिपत्र में उल्लेखित सील व उसकी पालना का निर्देश स्टाम्प वेण्डर को जारी किए जाने वाले रजिस्टर में अंकित करें। जिन मामलों में पहले नवीनीकरण कर दिया है, उनके मामलों में उप पंजीयक उपरोक्तानुसार स्टाम्प वैण्ड़रों के रजिस्टरों में अंकन करावें।

2.0 किसी व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्तियों के हस्ते भी स्टाम्प क्रय कराया जा सकेगा :-

1. वैद्य पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर से पावर ऑफ अटोर्नी में उल्लेखित प्रयोजन के लिए पावर ऑफ अटोर्नी प्रदात्ता के लिए।
2. नजदीकी पारिवारिक सदस्य के माध्यम से:-:
   माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नि के जरिये लेकिन जिस व्यक्ति के लिये स्टाम्प क्रय किया जा रहा है उसका तथा जिसके हस्ते लिया जा रहा है उसका मूल परिचय-पत्र स्टाम्प वेण्डर को दिखाना होगा व प्रतियां देनी होगी। जिस व्यक्ति के लिए स्टाम्प क्रय किया जा रहा है उस व्यक्ति से स्टाम्प क्रय अधिकार-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। स्टाम्प वेण्डर द्वारा इनका अंकन अपने डैली विक्रय रजिस्टर में किया जायेगा।

महानिरीक्षक 23/4/10
पंजीयनं एवं मुद्रांक विभाग,
राज. अजमेर।

क्रमांक : एफ 4 (300)(8)/स्टा/ वैण्डर/10/1647-1736 दिनांक : 23-5-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौघोगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की बेवसाईट www. rajstamp.gov. in पर अपलोड़ हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए 5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर , समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) राजस्थान , को देकर निर्देशित किया जाता है कि पालनार्थ उक्त आदेश की प्रति वृत के अधीन सभी उप पंजीयकों एवं स्टाम्प वैण्ड़रो को दी जावें
8. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदने कलक्टर (मुद्रांक) वृत-जयपुर/जोधुपर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

23/5/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयनं एवं मुद्रांक विभाग,
राज. अजमेर।